न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 87/2011 GCMS NO :- 2011/00065

अपीलांट

मूलचन्द पुत्र गजाजी, जाति छीपा, निवासी भैरू चौक, सुमेरपुर, जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. आशा राठौड़ पुत्री तारीजी, जाति नाई, निवासी कोलीवाड़ा हाल धर्म पत्नी जगदीश राठौड़ निवासी सलोदरिया, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली।
2. स्व. मदनलाल पुत्र ताराजी, के कायम मुकाम.....
   1. अमृतलाल पुत्र मदनलाल
   2. नारायणी देवी पत्नी मदनलाल
   3. सीमा पुत्री मदनलाल समस्त जातिगण नाई, निवासी कोलीवाड़ा, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली
3. राजस्थान राज्य जरीये भूमीधारी, तहसीलदार सुमेरपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट की ओर से
2. श्री नरेन्द्र सिंह मालावत विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 02 ओर से
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 अनुपस्थित
4. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 03 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 15-04-2021

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकरी, सुमेरपुर राजस्व वाद संख्या 61/2011 बउनवान आशा बनाम मदनलाल आदि में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.11.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उक्त पक्षकार के विरूद्ध गुणवागुण पर निर्णय पारित किया जाता है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा खातेदारी की उदघोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का इस आश्य से पेश किया कि ग्राम कोलीवाड़ा तहसील

सुमेरपुर में रेस्पो0 के पिताजी तारीजी के नाम की पुश्तेनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 190 रकबा 0.37 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 190मी. रकबा 0.32 हैक्टेयर किस्म बारानी आयी हुई है। चूंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 (वर्तमान में फौत) के पिता की मृत्यु हो चुकी है। जबकि वे दोनो ताराजी के वारिशान है। इसलिये बराबर हिस्सा खातेदारी में दर्ज होना चाहिये लेकिन रेस्पो0 संख्या 02 राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों से मिलकर अकेले खुद के नाम म्युटेशन भरवा दिया। उक्त दावे में मदनलाल द्वारा इकबालिया जबाब दे दिया गया। कोई तनकी नहीं बनी कोई दस्तावेज प्रर्दशित नही करवाया कि उक्त जमीन ताराजी की थी आरे न ही ऐसा कोई म्युटेशन ही प्रर्दशित करवाया कि ताराजी के मरने पर मदनलाल ने अकेले के नाम दर्ज करवा दिया। ऐसी सुरत में साक्ष्य के अभाव में अधीनस्थ न्यायाल द्वारा आधार विहिन निर्णय डिक्री पारित की गई है। साथ ही रेस्पोडेन्ट मदनलाल ने अपीलांट के पक्ष में एक इकरारनामा उक्त भूमि संबंधी लिखा जिसमें मदनलाल रेस्पोद्ध द्वारा रजिस्ट्री नही करवाने, अपीलांट को रेस्पोडेन्ट मदनलाल के विरूद्ध स्पेशिफिक परफोरमेंस हेतु अपर जिला न्यायाधीश, सुमेरपुर के यहा दावा प्रस्तुत किया जो दावा मूल संख्या 101/2010 दर्ज होकर अपीलांट के पक्ष में तारीख 10.03.2011 को निर्णित हुआ जिसमें न्यायालय ने अपीलांट के पक्ष में रजिस्ट्री कराने की डिक्री दी। जिस तथ्य को छुपाते हुए तथा न्यायालय के आदेश को ठुकराने की बदनियती से अपनी बहिन रेस्पो संख्या 01 आशा से गठजोड़ करके औपचारिक तौर पर मदनलाल प्रतिवादी बना और दिनांक 01.08.2011 को दावा पेश किया ओर मात्र तीन महिने मे ही अर्थात् 09.11.2011 को बिना साक्ष्य सबुत लिये डिक्री न्यायालय जारी कर देता है। ताकि रेस्पो0 आशा अपर जिला न्यायाधीश ने जो डिक्री अपीलांट के पक्ष में दे दी है, उसी आधी जमीन मदनलाल बचाकर आशा के नाम चढ़ाकर उसको रेस्पो0 आशा द्वारा विक्रय कराना चाहता है।

अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय डिक्री पारित की है उससे अपर जिला न्यायाधीश, सुमेरपुर द्वारा जारी निर्णय डिक्री तारीख 10.03.2011 प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावी है क्योकि न्यायालय अपीलांट के पक्ष में अपील में वर्णित भूमि का पंजियन कराने हेतु रेस्पोडेन्ट मदनलाल को आदेश डिक्री दी है ये ही नही उक्त आदेश के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट मदनलाल माननीय उच्च न्यायालय के एस. बी. सिविल फस्ट अपील नम्बर 389/2011 अपील की है आरे उसमे तारीख 01.08.2011 को स्थगन आदेश भी आगामी पेशी तक हासिल किया है ओर उसी रोज इस जमीन का दावा अपनी बहिन रेस्पो0 आशा से पेश करा कर तारीख 09.11.2011 को उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर से रस्पो0 आशा के पक्ष मे डिक्री करवा दी ताकि उक्त भूमि को रेस्पो0 आशा आसानी से विक्रित कर सकें। और रेस्पो0 आशा द्वारा पटवारी हल्का से मिलकर अपने नाम म्युटेशन संख्या 763 दिनांक 08.12.2011 को दर्ज करवा दिया ओर उसका सहारा लेकर इस भूमि को बेचान एवं खुर्द–बुर्द कराना चाहती है। जिससे अपीलांट को अपुरणीय क्षती होगी जिसकी भरपाई किया जाना संभंव नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायाल द्वारा जारी अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को मय पर्चा खारिज फरमाया जावे। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर पत्रावली रिमांड फरमाई जावे।

विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्टस् ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा कोलीवाड़ा तह.

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

सुमेरपुर में रेस्पो0 संख्या 01 व 02(फौत) के पिता ताराजी के नाम की पुश्तैनी खातेदारी भूमि के खसरा नंबर 190, रकबा 0.37 व खसरा संखा 191 मी. रकबा 0.34 के संबध में प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। रेस्पो0 संख्या 01 व 02(फौत) स्व0 ताराजी के वारिसान होने के कारण उक्त भुमि का दोनो के नाम बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदारी में दर्ज होने चाहिये थी परन्तु रेस्पो0 मदनलाल द्वारा अपने प्रतिनिधी पटवारी व भू. अ. नि. से गलत रूप से अपने एक के नाम ही नामान्तरण स्वीकृत करवा लिया, जिससे उक्त भुमि में उसके नाम की खातेदारी दर्ज हो गई। जबकी मौके पर ताराजी के मृत्यु के बाद ही कानूनन एवं कब्जा–काश्त दानो का अपने अपने हक–हिस्से अनुसार 1/2 चला आ रहा है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री की है। जो पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी ग्राम कोलीवाड़ा तहसील सुमेरपुर में पुश्तेनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 190 रकबा 0.37 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 190मी. रकबा 0.32 हैक्टेयर के संबध में प्रस्तुत कर उक्त आराजी में खातेदारी घोषणा बाबत् निवेदन किया, जिस पर अपीलाट को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है व अपीलांट के कब्जे में रेस्पोडेन्टगण किसी प्रकार की दंखलांदाजी नहीं करे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय का स्टेटश क्यू(यथास्थिति) स्थगन होते हुए भी निर्णय पारित किया है जो कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लघंन है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश जिसमे स्थगन दिया हुआ है उसके इतर जाकर के अधीनस्थ न्यायाल द्वारा आदेश पारित किया जाना abinitio void है। एवं प्रारम्भ से ही शून्य है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के पारित आदेश के अध्याधीन अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्वतः ही निरस्त है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अध्याधीन स्वीकार की जाती है। तथा उपखंड अधिकारी, सुमेरपुर द्वारा मुकदमा संख्या 61/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.11.2011 को अपास्त किया जाता है। हाजा न्यायालय का उक्त आदेश माननीय उच्च न्यायालय के एस. बी. सिविल फस्ट अपील नम्बर 389/2011 के निर्णय के अध्याधीन रहेगा। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 15-04-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नौटिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
15/04-2021